तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व अहकाम की तामील
5/3/2021	वकील वादी उप0। बहस वकील वादी सुनी गयी। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 17/3/2021 को पेश हो।	
17/3/2021	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादी उप0। बावजुद सम्यक तामील प्रतिवादी अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही पूर्व में अमल में लायी जा चुकी हैं। बहस पूर्व सुनी जा चुकी हैं। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि वादी के नाम राजस्व ग्राम कुंवारा पटवार हल्का नाथा की नांगल तह. नीमकाथाना में खातेदारी भूमि हैं। वादी का सही नाम चितरूराम पुत्र छोटूराम हैं। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड तैयार करते समय सहवन से वादी का घरेलु नाम राजस्व रिकॉर्ड में चिनू पुत्र छोटू दर्ज कर दिया गया। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड की प्रति प्रस्तुत की हैं जिनमें वादी का सही नाम चितरूराम पुत्र छोटूराम है। वाद पत्र में अंकित तथ्यों के समर्थन में बतौर साक्ष्य गवाह बद्री प्रसाद पुत्र मांगूराम जाति माली एवं स्वंय के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं। बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं बतौर साक्ष्य गवाह बद्री प्रसाद पुत्र मांगूराम जाति माली के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम चिनू पुत्र छोटू अंकित है। वादी का कथन कि वादी का सही नाम चितरूराम पुत्र छोटूराम हैं की पुष्टि मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड की प्रतियां एवं बतौर साक्ष्य प्रस्तुत नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं बतौर साक्ष्य प्रस्तुत नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों के आधार पर वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijesh
Date: 2021.03.29 17:59
Reason: SelfAttested

	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	आदेश उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता हैं तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम कुंवारा पटवार हल्का नाथा की नांगल तह. नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 36 भूमि खसरा नम्बर 435/214 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम **चिनू पुत्र छोटू** के स्थान पर **चितरूराम पुत्र छोटूराम** दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना Signature Not Verified Digitally signed by Brejesh Kumar Date: 2021.03.29 17:59:31 IST Reason: SelfAttested	